

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

कमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2018/418 जयपुर,दिनांक: 18/11/18

:: आ दे रा ::

निम्न कार्मिक पंचायत प्रसार अधिकारियों के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने से उनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	वर्तमान पस्थापित स्थान	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री रमेश चन्द सैनी	पं.स. दूदू (जयपुर)	31.01.2018
2	श्री रामलाल कुमावत	पं.स. चित्तौडगढ़	28.02.2018
3	श्री रहीम बक्श कुरैशी	पं.स. श्रीनगर (अजमेर)	31.10.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित पंचायत प्रसार अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

Yorn

(पून्म प्रसाद सागर)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर, चित्तौडगढ़, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों के विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अतः उक्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. विकास अधिकारी, पं.स. दूदू (जयपुर), श्रीनगर (अजमेर), चित्तौडगढ़।
4. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली

Yorn

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त